बिहार सरकार
<u>स्वास्थ्य विभाग</u>

अधिसूचना

संoसंo–9/आo–03–36/2024(स्वाo) .... /पटना, दिनांकः–.................................

डॉ० हरि प्रसाद, उपाधीक्षक, सदर अस्पताल, हाजीपुर के विरूद्ध तत्कालीन माननीय उप मुख्य (स्वास्थ्य) मंत्री के औचक निरीक्षण में रोस्टर ड्यूटी चार्ट प्रस्तुत नहीं करने अनुपस्थित चिकित्सकों के वेतनादि का भुगतान करने, दवा वितरण, साफ–सफाई एवं सुरक्षा तथा जाँच की कुव्यवस्था पाये जाने का आरोप प्रतिवेदित किया गया।

2. विभागीय ज्ञापन सं०–169(9) दिनांक–31.01.2024 द्वारा डॉ० प्रसाद के विरूद्ध आरोप पत्र गठित कर स्पष्टीकरण की माँग की गयी।

3. डॉ० प्रसाद द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण में अवगत गया है कि माननीय मंत्री महोदय का औचक निरीक्षण रात्रि के लगभग 1:30 बजें किया गया। निरीक्षण के समय माननीय महोदय द्वारा माँगी गयी उपस्थिति पंजी कार्यालय में बन्द रहने के कारण उपलब्ध नहीं करायी जा सकी, अनुपस्थित चिकित्सकों के विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की अनुशंसा करते हुए वेतन अवरूद्ध किया गया, निरीक्षण में रोस्टर के अनुसार चिकित्सकों के अनुपस्थित पाए जाने पर वेतनादि स्थगित कर कार्रवाई की गयी, सदर अस्पताल, हाजीपुर में रात्रि पाली में आकस्मिक कक्ष में उपस्थित कर्मी द्वारा दवा वितरण किया जाता था, आउटसोर्सिंग एजेंन्सी की अवधि विस्तारित करने संबंधी मामला जिला स्वास्थ्य समिति से है, रोगी कल्याण समिति, सदर अस्पताल, हाजीपुर के पत्रांक–609 दिनांक–19.10.2023 द्वारा शौचालय के साफ–सफाई के कार्य को सुलभ इन्टरनेशनल से प्राधिकृत किया गया, संस्थान में रेडियोलौजिस्ट के अनुपस्थित रहने एवं ECG टेक्नीशियन का पद रिक्त रहने के कारण स्थानीय व्यवस्था के तहत अल्ट्रासाउण्ट का कार्य लिया जा रहा था, निरीक्षण के कुछ समय पहले ही ऑपरेशन कक्ष में शल्य क्रिया हुई थी जिस कारणवश उपकरणों की साफ–सफाई हेतु रख हुई थी, एलाईट फॉलकॉन एजेंसी द्वारा ड्यूटि पर सोये हुए गार्ड को कार्य मुक्त कर दिया गया है।

4. डॉ० प्रसाद के स्पष्टीकरण से स्वीकारोक्ति है कि संस्थागत कतिपय चिकित्सा पदाधिकारी कर्त्तव्य पर अनुपस्थित रहते थे, परन्तु उनके द्वारा यथोचित कार्रवाई नहीं की गयी। इससे उनकी सत्य निष्ठा संदिग्ध होती है। उनके द्वारा दवा वितरण को ठोस व्यवस्था नहीं करने के कारण मरीजों को बाहर से दवा लेने के लिए बाध्य होना पर रहा था।

5. अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा डॉ० प्रसाद के स्पष्टीकरण की सम्यक समीक्षा की गयी, समीक्षोपरान्त पाया गया कि डॉ० प्रसाद के स्पष्टीकरण में अंकित तथ्यों से उनके कार्य के प्रति उदासीनता बरतने एवं सतत् अनुश्रवण का अभाव के आरोप में डॉ० प्रसाद को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–14(iv) के अधीन संचयी प्रभाव के बिना सेवानिवृत्ति की तिथि तक लेवल–14 के प्रक्रम–14 से प्रक्रम–13 पर अवनत करने की शास्ति अधिरोपित करने का विनिश्चय किया गया।

27/12/2024

(15)

6. अतएव डॉ० हरि प्रसाद, उपाधीक्षक, सदर अस्पताल, हाजीपुर को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–14(iv) के अधीन संचयी प्रभाव के बिना सेवानिवृत्ति की तिथि तक लेवल–14 के प्रक्रम–14 से प्रक्रम–13 पर अवनत करने की शास्ति अधिरोपित एवं संसूचित की जाती है।

7. उपर्युक्त में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/–
(उपेन्द्र राम)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांकः–9/आ0–03–36/2024(स्वा0) 1368(9) /पटना, दिनांकः– 27.12.24

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, (ले० एवं हक०) बिहार पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, वैशाली/कोषागार पदाधिकारी, वैशाली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–क्षेत्रीय अपर–निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें तिरहुत प्रमंडल, तिरहुत/असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, वैशाली, हाजीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, स्वा0 विभाग के प्रधान आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य विभाग/सभी अपर सचिव, स्वास्थ्य विभाग/सभी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाऐं, बिहार पटना के निजी सहायक को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः–डॉ० हरि प्रसाद, उपाधीक्षक, सदर अस्पताल, हाजीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–2, 3, 7, 8, 10, 17 एवं 18A को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–आई0टी0 मैनेजर, स्वा0 विभाग को विभागीय वेबसाइट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

27/12/2024
सरकार के अवर सचिव।